छत्तीसगढ़ सूचना आयोग, रायपुर

<u>अपील प्रकरण क्रमांक 200/2007</u>

डॉ0 एच. पी. गुप्ता,
बी/3, पारिजात एक्सटेन्शन,
नेहरू नगर के पास,
बिलासपुर (छत्तीसगढ़) .... अपीलार्थी

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी,
कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
बिलासपुर (छत्तीसगढ़) .... प्रतिअपीलार्थी

:: <u>आदेश</u> ::
(दिनांक 06 जून 2007)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी डॉ0 एच. पी. गुप्ता द्वारा जन सूचना अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बिलासपुर को कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिये दिनांक 06–10–2006 को आवेदन प्रस्तुत किया गया था। समयावधि में जानकारी नहीं मिलने के कारण उनके द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बिलासपुर के समक्ष दिनांक 27–11–2006 को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई, किन्तु प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा भी कोई सुनवाई नहीं करने के कारण एवं तब तक जानकारी न मिलने के कारण अपीलार्थी द्वारा असंतुष्ट होकर दिनांक 12–02–2007 को आयोग के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गई।

2/ प्रकरण में रिकार्ड का अवलोकन किया गया और उभय पक्ष की सुनवाई की गई तथा अपीलार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक श्री हेमंत गुप्ता के तर्कों को भी सुना गया। प्रकरण में भ्रामक जानकारी और विलम्ब से जानकारी देने के कारण जन सूचना अधिकारी को 10,000/–रुपये (रुपये दस हजार मात्र) की शास्ति का कारण बताओ सूचना–पत्र भी जारी किया गया था और उसका उत्तर प्रस्तुत होने पर उभय पक्ष की सुनवाई की गई। जन सूचना अधिकारी का उत्तर लेकर सुनवाई के समय सहायक जन सूचना अधिकारी उपस्थित थे, अतः उन्हीं की सुनवाई की गई। उत्तर में सहायक जन सूचना अधिकारी ने बताया कि यह जानकारी खण्ड चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बिल्हा से संबंधित था और उन्हें जानकारी भेजने के लिये कई पत्र जारी किया गया था और उन्हीं के द्वारा अपूर्ण और भ्रामक जानकारी प्रदान की गई थी, जिसके कारण जानकारी देने में विलम्ब हुआ। अंत में उत्तर में उनके द्वारा स्पष्ट किया गया कि अपीलार्थी द्वारा चाहे गये दस्तावेज प्राप्त नहीं हुये हैं और रिकार्ड में नहीं हैं। इससे ऐसा प्रतीत हुआ कि डॉ0 गुप्ता से मकान किराये की राशि उनके वेतन से नियम के विरूद्ध वसूल हुआ है, जिसे उन्हें वापस करने के लिये दिनांक 05–05–2007 के पत्र से आदेश भी जारी कर दिया गया है, किन्तु आवेदन से स्पष्ट होता है कि उसमें से कुछ बिन्दुओं की जानकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा ही दी

जा सकती थी, अतः विलम्ब के लिये वे भी समान रूप से दोषी हैं। अपीलार्थी को काफी विलम्ब से जानकारी दी गई थी और बीच में उन्हें भ्रामक और अपूर्ण जानकारी भी दी गई और बाद में अपनी त्रुटि भी स्वीकार कर उनकी कटौती समाप्त की गई है। अतएव इस प्रकरण में अधिनियम की धारा–20(1) के अंतर्गत शास्ति आरोपित करने का आधार तो बनता है किन्तु फिर भी उनके द्वारा किये गये प्रयासों को देखते हुये थोड़ा उदार रूप अपनाते हुये जन सूचना अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बिलासपुर पर अधिनियम की धारा–20(1) के अंतर्गत 2,000/– रुपये की शास्ति आरोपित की जाती है। साथ ही इस प्रकरण में यह भी पाया जाता है कि प्रथम अपीलीय अधिकारी भी उनके समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील पर सुनवाई कर समयावधि में आदेश पारित नहीं किया। अतः संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़ को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वे प्रथम अपीलीय अधिकारी/ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बिलासपुर के विरूद्ध भी आवश्यक कार्यवाही करें और उन्हें भविष्य के लिये उचित निर्देश दें। खण्ड चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बिल्हा द्वारा भी जानकारी भेजने में काफी विलम्ब किया गया था, दिनांक 11–10–2006 के पत्र की जानकारी उनके द्वारा दिनांक 27–11–2006 को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बिलासपुर की ओर भेजी गई थी। अतः इस विलम्ब के लिये उनके विरूद्ध भी अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिये अधिनियम की धारा–20(2) के अंतर्गत संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़ को अनुशंसा भेजने के निर्देश दिये जाते हैं। साथ ही अधिनियम की धारा–19(8)(ख) के अंतर्गत यह निर्देश दिये जाते हैं कि विलम्ब के कारण और त्रुटिपूर्ण जानकारी के कारण अपीलार्थी को जो मानसिक एवं आर्थिक क्षति हुई है, उसके लिये विभाग की ओर से उन्हें 500/– रुपये की राशि क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदान करने के निर्देश भी दिये जाते हैं। साथ ही यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि अब प्रकरण में जो भी जानकारी दिया जाना शेष हो वह भी उन्हें 15 दिन के अन्दर निःशुल्क प्रदान कर दी जाये साथ ही जो वेतन से कटौती की गई राशि उन्हें वापसी होना थी, वह भी उन्हें 15 दिन के अन्दर यदि नियमों में ब्याज सहित देने का प्रावधान हो तो उन्हें ब्याज सहित लौटाया जाये।

3/ उक्त निर्देशों के साथ अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त